तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>निगरानी / टीए / 2572 / 2023 / झुंझुनूं</u> **ओमप्रकाश बनाम शेर सिंह**	
	<u>एकल–पीठ</u> श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री डॉ. भगवती सिंह बारहठ, अभिभाषक प्रार्थी <u>निर्णय</u> दिनांकः– 31–05–2023 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–05–2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अभिभाषक प्रार्थी को निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों एव स्थगन प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 7 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53,88 व 188 आरटीए 1955 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को दिनांक 26–07–2017 को डिक्री कर दिया गया। तदुपरांत तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में दिनांक 09–08–2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिसके विरूद्ध असल अप्रार्थी द्वारा शेर सिंह द्वारा एक अपील मय धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र व धारा 5 मियाद के प्रार्थनापत्र के साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपील के साथ एक स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर धारा 5 व धारा 96 पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 02–05–2023 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिक्री दिनांक 09–05–2017 की पालना स्थगित की जाकर उभयपक्षक को आगामी तिथि तक विवादित भूमि की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद कर दिया तथा रेस्पो0 रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर तहत का रिकॉर्ड तलब करने के आदेश पारित कर दिए तथा प्रकरण में वास्ते तलबी दिनांक 13–06–2023 नियत की गई। उनका तर्क है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2572 / 2023 / झुंझुनूं</u>** **ओमप्रकाश बनाम शेर सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी जिस बाबत उनके द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र संलग्न था। इस कारण न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिंदु तय करना चाहिए था। इसके बाद ही वे स्थगन आदेश पारित करने में सक्षम थे। ऐसी स्थिति में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का गलत तरीके से इस्तेमाल कर स्थगन आदेश पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। इसलिए जाब्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 3ए के आज्ञापक प्रावधानों के तहत मियाद के बिन्दू पर विपक्षी को नोटिस जारी किए बिना एवं बिना मियाद कंडोन किए स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता था। अपीलीय न्यायालय व्यवहार प्रकिया संहित के आज्ञापक प्रावधान आदेश 41 नियम 3ए के विपरीत जाकर क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि कारित की है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 3ए के प्रावधानों को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया था। इस कारण न्यायालय को अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र को निर्णित करना चाहिए था। इसके बाद ही प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया जा सकता था। किंतु उन्होंने उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किए बिना ही निगरानीधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। उक्त आदेश के पारित होने से असल अप्रार्थी, प्रार्थी व तरतीबी पक्षकार के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी करने को आमादा है जिससे निगरानीधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–09–2022 को न्यायहित में निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही यह भी तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करते समय आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी एवं राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानूनी प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में पारित किया हुआ है। इस कारण माननीय न्यायालय ऐसे विधिविरूद्ध एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2572 / 2023 / झुंझुनूं</u>** **ओमप्रकाश बनाम शेर सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवैध आदेशों को धारा 221 आरटीए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त करने में सक्षम है। अंत में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। हमने अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसके साथ प्रार्थनापत्र दफा 5 अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों को तय किए बिना आदेश 41 नियम 3ए के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश पारित किया गया है। चूंकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एक अंतरिम आदेश है जिसके विरूद्ध मण्डल के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने से एवं मण्डल के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। लेकिन न्यायहित में हम धारा 221 आरटीए में प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय न्यायालय को निर्देश देना उचित समझते हैं कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण शीर्षक शेरसिंह बनाम ओमप्रकाश में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्रों पर उभयपक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करें। इसके बाद ही स्थगन प्रार्थनापत्र एवं अपील पर सुनवाई की जावें। चूंकि निगरानीधीन आदेश दिनांक 02–05–2023 अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 2572 / 2023 / झुंझुनूं</u>** **ओमप्रकाश बनाम शेर सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए